

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 04-06/31/स्था./2016 :: राज्य शासन एतद्वारा श्री राकेश कुमार शर्मा, सहायक अभियंता (वि./यां.), कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर के विरुद्ध अपराध क्र. 523/16 धारा 452, 506, एवं धारा 354 (ग)(घ) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 08.09.2016 को 9.00 बजे गिरफ्तार किये जाने तथा 48 घंटे से अधिक अवधि तक केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध रखे जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (2)(क) के अंतर्गत दिनांक 08.09.2016 से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव), बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिल कुमार शर्मा)
अवर सचिव

छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग

क्रमांक एफ 04-06/31/स्था./2016
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 27-9-2016

- 01 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय रायपुर
- 02 निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग
- 03 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर
- 04 मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर/महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
- 05 पुलिस अधीक्षक, दुर्ग
- 06 अधीक्षण अभियंता, वि./यां. मण्डल, जल संसाधन विभाग रायपुर
- 07 कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर
- 08 संबंधित अधिकारी-

द्वारा:- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर

09 आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

